कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला

Office of the Executive Engineer, Public Works Department, Purola

दूरभाष/फैक्स संख्या 01373–223324 E-Mail ID-eepwdpurola@rediffmail.com

पत्रांकः- 519 / वनभूमि दिनाँकः-24/03/2021

सेवामें,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी,
देहरादून।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में मियागाड से कुनारा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.8175 है0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- **प्रस्ताव सं0 FP/UK/Road/37269/2018 पर प्राप्त EDS आपत्ति दिनांक 13–11–2020**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में लगाई गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्न प्रकार है –

S	EDS Objections	Response
1	The detail of alternate examined has not been provided at para D properly and map uploaded at para D (ii) (a) does not indicate details of alternateive examined. State Govt. may provide the information regarding alternative explored at para D and also upload the map showing the alternative at para D (ii) (a) Part I online.	The map showing alternate alignment has been uploaded at para D (ii).
2	In the component wise break up at para B 2.4, the whole area of 0.32 ha is shown to be taken in forest area while in the hard copy of the proposal out of 3 sites. 2 sites are shown in Naap Land. State government may submit the justification in this regard.	मार्ग पर मक डिस्पोजल हेतु तीन स्थल चयनित किये गये हैं जिनमें से दो स्थल नाप भूमि एवं एक स्थल (0.32 हे0) सिविल सोयम भूमि में पड़ता है, चूँकि सिविल सोयम भूमि को वनभूमि हस्तान्तरण में सम्मिलित किया जाना है अतः इस स्थल को कम्पोनेन्ट वाइज ब्रेकअप में अंकित किया गया है।
3	It is seen that the proposal involved private land. Therefore, State government may explore other than forest land for the purpose of muck dumping and if it is not possible, may provide the reasons for the same duly authenticated by DFO.	मार्ग समरेखण के प्रथम कि0मी0 में ग्रामीणों की नाप भूमि एवं सिविल भूमि पड़ती है तत्पश्चात चैनेज 1/4 से 1/8 तक सिविल सोयम भूमि तथा 1/9 से 2/34 तक लगातार आरक्षित वनभूमि पड़ती है जो लगभग 1.075 कि0मी0 लम्बाई में है, इस लम्बाई में मार्ग निर्माण से उत्सर्जित होने वाले मलबे को निस्तारित करने हेतु समरेखण के चैनेज 1/6 से 1/8 में मलबा डिस्पोजल हेतु स्थल चयनित किया गया है। आरक्षित वनभूमि के मध्य में कोई भी निजी भूमि नहीं पड़ती है जंहा मलबा डिस्पोजल किया जा सके।
4	A separate tree enumeration list for the area proposed for muck dumpint (ie. 0.32 ha) is required to be submitted by the State Govt.	मक डिस्पोजल हेतु चयनित स्थलों में वृक्ष नहीं पड़ते हैं जिस कारण अलग से वृक्षों की सूची की आवश्यकता नहीं है।
5	The density shown in para 4(i) is 0.8 which seems to be incorrect in view of the enumeration list of trees, therefore the state Govt, may review the same and change the NPV calculation accordingly.	वन विभाग से सम्बन्धित है।
6	The enumeration provided for 9m width of the said road while as per PMGSY norms the requirement can be fulfilled for hills road with ROW 5.2 m on alignment and 6.1 m on curves/ turns. State Govt is required to submit a separate enumeration list of trees for 6.1 m width on turns and 5.2 m for rest of the alignment. Whereas ROW may be kept as 9m as per Indian Road Congress 52-2019.	लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप सीधे भाग में 6.00 मीटर चौड़ाई में तथा हल्के मोड़ों पर 6.55 मीटर एवं तीव्र मोड़ों पर 6.85 मीटर चौड़ाई में मोटर मार्ग निर्माण का प्रावधान किया जाता है, जिस हेतु 9 मीटर चौड़ाई में प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना 457 है। जबकि वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 409 है जिनकी गणना 7.00 मीटर चौड़ाई में की गयी है।

Scanned with CamScanner

7	It appears thath in the hard copy of the proposal as well as on online portal, as additional documents, a lot of unnecessary papers are submitted/ uploaded. Therefore the State Government may file up the requisite/ essential information or document only which is required under the provision of FCA, 1980 and submit to this office.	परियोजना का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव निर्माण मार्गदर्शिका 2014, जो अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय वन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रकाशित है के द्वारा उपलब्ध प्रपत्रों को सम्मिलत करते हुये गठित किया गया है।
8	In the KML file it appears that other population/ villages are also seems to be unconnected in the area around the proposed road. State government may provide information, if there any planning of the government to provide connectivity to these areas or any other ongoing progress for the same. If yes, it should be proposed in the consolidation. The detailed note in this regard by be submitted.	प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई 3.50 कि0मी0 है। इससे आगे ग्राम लुदराला को जोड़ने हेतु शासनादेश सं0 764/।।।(2)/06-प्रा0आ0/07 दिनांक 24-03-08 के द्वारा मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है। जिसका निर्माण मियागाड कुनारा मोटर मार्ग (वर्तमान प्रस्ताव) से आगे किया जाना है। अतः उक्त मोटर मार्ग के 3.50 कि0मी0 निर्माण के पश्चात ही आगे लुदराला तक मोटर मार्ग निर्माण कार्यवाही की जानी संभव होगी।

अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला

पत्रांक / तददिनांक

प्रतिलिपि
1. प्रभागीय वनाधिकारी, टौंस वन प्रभाग, पुरोला को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला

Scanned with CamScanner